

आवश्यक मूल दस्तावेज (दो सेट फोटो कॉपी सहित)

1	चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटो युक्त प्रति अथवा प्रवेश पत्र
2	हाई स्कूल एवं हॉयर सेकेण्डरी (10 + 2) अथवा समकक्ष परीक्षा की अंकसूची।
3	कक्षा 11वीं की अंकसूची।
4	आयु प्रमाण के लिये हाई स्कूल, हॉयर सेकेण्डरी (10 + 2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र/अंक सूची की मूल प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो।
5	अभ्यर्थी की फोटो युक्त आईडी।
6	मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र। अभ्यर्थी के व्यस्क न होने की दशा में उसके माता/पिता के मूल निवासी प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का नाम अंकित हो।
7	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी (जाति प्रमाण-पत्र) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र।
8	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान वर्ष में जारी किया गया प्रमाण पत्र।
9	वर्तमान वर्ष का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र (अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों की क्रीमी/नॉनक्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु) (यदि लागू हो)।
10	दिव्यांग प्रवर्ग हेतु आर.पी.डब्लू.डी. एक्ट 2016 के अन्तर्गत बैंच मार्क डिसएबिलिटी के लिये किसी भी राज्य के दिव्यांगता केन्द्र अथवा केन्द्र सरकार के विनिर्दिष्ट दिव्यांगता केन्द्र से जारी किया गया दिव्यांगता का प्रमाण पत्र।
11	सैनिक प्रवर्ग के अभ्यर्थी को कमान्डेंट (सेवारत सैनिक की दशा में) अथवा जिला सैनिक कल्याण बोर्ड (सेवानिवृत्त अथवा मृत सैनिक की दशा में) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, प्रारूप 2- (अ), प्रारूप-2 (ब), अथवा प्रारूप 2- (स)।
12	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी अभ्यर्थी को संबंधित जिला कलेक्ट्रेट द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र- प्रारूप-3।
13	मध्यप्रदेश के अन्यत्र किसी राज्य से मूल निवासी (स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र) प्राप्त नहीं करने संबंधी शपथ पत्र एवं किसी अन्य राज्य से मूल निवासी का लाभ नहीं लिये जाने संबंधी शपथपत्र प्रोफार्मा-7
15	सीट लिविंग बॉण्ड/ग्रामीण सेवा बंध पत्र प्रोफार्मा-8।